बिहार सरकार
उद्योग विभाग

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना

कोटेशन आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के सरकारी कार्यों का निष्पादन हेतु भाड़े पर वाहन की आवश्यकता है। जो व्यक्ति/फर्म भाड़े पर आपूर्ति करना चाहते हैं, वे अपना कोटेशन मुहरबंद लिफाफे में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय अवधि में दिनांक 28.06.2022 के अप0 2.00 बजे तक जमा कर सकते हैं, जिसे उसी दिन 3.00 बजे अपराहन में निदेशक उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना की अध्यक्षता में गठित स्थानीय क्रय समिति के समक्ष सभी कोटेशनदाताओं/प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निदेशक, संस्थान के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी।

गाड़ी का विवरण

क्रमांक	विवरण	दर
01	Scorpio/Xuv-500/Similar/Superior	
02	Swift Desire/Amaze/equivalent...	

TRANSPORT UNIT TARIFF (MONTHLY RATE)		
Tariff	12 Hrs per day with Driver & without Fuel Charge (10 K.M. Per Litre will be paid separately)	Aftar 12 Hrs. in a day Extra Charges per Hours Exclusive of Fuel.
Billing Indication	Monthly Rate Exclusive of fuel charge.	Rate per hour

कोटेशन की शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1. वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो एवं पूर्णतया वातानुकूलित हो।
2. गाड़ी में एक दिन से अधिक मरम्मती कार्य होने पर फर्म को दूसरी गाड़ी उपलब्ध कराना होगा।
3. गाड़ी चलाने हेतु एक स्वस्थ चालक उपलब्ध कराना होगा, जिसके पास वैध चालक अनुज्ञप्ति हो तथा वाहन चालक के पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित वाहन मालिक को करना होगा।
4. आयकर निबंधन (PAN) एवं पिछले वर्ष का अद्यतन आयकर रिटर्न (वित्तीय वर्ष 2020–21) की कॉपी संलग्न करना होगा।
5. गाड़ी के स्वामित्व से संबंधित प्रमाणक एवं Fitness प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
6. फर्म का निबंधन प्रमाण–पत्र एवं **GST** निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
7. गाड़ी का निबंधन संख्या एवं सभी प्रकार का टैक्स अद्यतन हो।
8. वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना अनिवार्य है।
9. कोटेशन की अवधि एक वर्ष की रहेगी। किन्तु कार्य असंतोषजनक/संतोषजनक रहने के आधार पर अवधि घटायी/बढ़ायी जा सकती है।
10. काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ–पत्र देना होगा।
11. तकनीकी कोटेशन तथा वित्तीय कोटेशन को अलग–अलग मुहर बंद लिफाफे में देना होगा। लिफाफे के ऊपर तकनीकी एवं वित्तीय कोटेशन अलग–अलग अंकित करना होगा तथा फिर दोनों को एक तीसरे लिफाफें में सील बंदकर जमा करना होगा। तकनीकी रूप से सफल कोटेशनदाता की ही वित्तीय कोटेशन खोली जाएगी।
12. गाड़ी का विवरण के क्रमांक 01 एवं 02 के लिए प्राप्त कोटेशन को अलग–अलग मानते हुए आगे की प्रक्रिया की जायेगी।
13. कोटेशनदाता को वाहन का दर वित्तीय कोटेशन प्रारूप में देना अनिवार्य होगा।
14. कोटेशन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

21/06

निदेशक
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

Nividha-102

Scanned with CamScanner